

संख्या : 1619 / 1-10-2011-33(102) / 2011

प्रेषकः

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

QO/H

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शौहजहाँपुर / सुल्तानपुर / आजमगढ़ / लखीमपुर खीरी / बदायूँ।
राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक ३ / मई, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवीय आपदा मद में धनावंटन।

महोदयः

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 1,75,00,000/- (रुपये एक करोड़ पचाहत्तर लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके जनपद के समुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

क० सं०	जनपद का नाम	धनराशि (रु० में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
1.	शौहजहाँपुर	25,00,000/-	636 / सौ०आर०००(आपदा) दिनांक 27 मई, 2011
2.	सुल्तानपुर	25,00,000/-	279 / मु०रा०ले०—आपदा/धनावटन दिनांक 28 मई, 2011
3.	आजमगढ़	25,00,000/-	136 / आपदा—बजट-2011-12 दिनांक 25 मई, 2011
4.	लखीमपुर खीरी	50,00,000/-	13 / राहत—आ॑निकाण्ड/आपदा—धनावटन / 11-12 / आ०रा०लि० दिनांक 26 मई, 2011
5.	बदायूँ	50,00,000/-	3538 / तीन—संग्रह(आपदा) दिनांक 26 मई, 2011
	योग	1,75,00,000/-	

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सख्ता-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-आपदा राहत निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं—अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चकवात, सूखा, मृकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आकरण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ सलग्न भारत सरकार की गाड़ल लाइन्स में निर्धारित एवं अह मानकों मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। सभी धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेरी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. वर्ष 2011–12 में दैवीय आपदा मद में वितरण 31 मार्च, 2012 तक कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण—पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2011–12 में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम समा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम समा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1—11—2005—रा०—11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फोड़ करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते समर्पित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकने कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय
५.५.२०१४
(के०क० सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या : ६७१-१०-२०११-३३(१०२)/२०११, तददिनोंक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त बरेली/फैजाबाद/आजमगढ़/लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, शौहजहाँपुर/सुल्तानपुर/आजमगढ़/लखीमपुर खीरी/बदायूँ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुमाग-५।
- 8- राजस्व अनुमाग-१०/राजस्व अनुमाग-६/११।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय
संयुक्त सचिव